न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH: 01420-229487
E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–204 / 2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:–26.10.2023

उनवान– 1. बच्चू सिंह पुत्र रामपाल
2. हजारी पुत्र रामसहाय
3. किशोर पुत्र रामसहाय
4. राजेश पुत्र लिछमन
5. रत्तीराम पुत्र बीरबल
6. राजाराम पुत्र बीरबल
7. दयाराम पुत्र रमेश
8. विजेन्द्र पुत्र रमेश

जाति गुर्जर निवासी तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. माफी गंगापुरी
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील बसवा।

दावा उद्घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं.–204 / 2022 सन्–2022

निर्णय दिनांक 26.10.2023

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा उद्घोषणा खातेदारी पेश किया कि वादीगण ग्राम तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा के स्थायी वासिन्दा हैं एवं अन्य पिछडी जाति के सदस्य हैं। ग्राम तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 जिसके खसरा नम्बर 17 लगायत 21 कुल किता 05 कुल रकबा 1.88 हैक्ट. स्थित है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नं. 9 रकबा 7 बीघा 12 बीस्वा कायम रहे हैं। जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया की खातेदारी माफी गंगागुरी हिस्सा पूर्ण एनए दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी चली आ रही है एवं माफी गंगागुरी दर्ज रिकार्ड किसी व्यक्ति विशेष गंगागुरी पण्डा का नाम अंकित नहीं है एवं वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज अर्सा करीबन सैंकडो वर्षो से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान अदा करते चले आ रहे हैं भूमि मुतदाविया पर बारह वर्ष से अधिक के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है भूमि मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये हैं। गंगागुरी पण्डा नाम का कोई भी व्यक्ति तहसील बसवा में नहीं है न ही कोई संस्था है तथा इस अमर की उद्घोषणा वादीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में करवाने के अधिकारी हैं।

भूमि मुतदाविया में वादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं जिसमें वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा, व वादीगण सं. 2 व 3 का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण सं. 4 का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण सं. 5 लगायत 8 का दर हिस्सा 1/4 है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार बिना कोई विघ्न व बाधा के काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। भूमि मुतदाविया में वादीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राज्य सरकार को लगान जमा कराते चले आ रहे हैं जिसका रिकार्ड खसरा गिरदावरी

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

सम्वत 2009 से 2010 व सम्वत 2017 से 2020, सम्वत 2021 से 2031 व सम्वत 2032 से 2035 व आज दिन तक बदस्तूर वादीगण काबिज काश्त हैं। भूमि मुतदाविया को वादीगण के पूर्वजों के द्वारा लाखों रूपये की लागत लगाकर व मेहनत करके काबिज काश्त बनाया है तथा अर्सा दराज सैंकडों सालों से वादीगण के पूर्वज रामचन्द्र, हटया, गोरधन, रामसहाय आदि व वादीगण ही काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं जिससे अन्य किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। भूमि मुतदाविया में वादीगण को नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता प्राप्त करने से भी वंचित हो रहे हैं तथा अपने जायज अधिकारात से वंचित हो रहे हैं। बिना राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हुये वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति कारित होने की पूरी पूरी सम्भावना है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया की बाबत खातेदारी की उद्घोषणा की डिक्री अपने हक में वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकार्ड की बाबत वादीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है वादीगण को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिये आवेदन करने जाने पर दिनांकः 25.06.2022 को हुयी जिस पर वादीगण ने भूमि मुतदाविया में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के लिये प्रतिवादी के यहॉ पर आवेदन पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी ने वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने से साफ इंकार कर दिया व कहा कि पहले न्यायालय से आदेश करवाकर लाओ तब ही तुम्हारा नाम खातेदारी में दर्ज होगा इसलिये वादीगण को वादपत्र पेश करना लाजिम आया।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री उद्घोषणा बहक वादीगण वरखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की पारित फरमायी जावे कि भूमि खाता सं. नई 33 पुरानी 35 खसरा नं. 17 लगायत 21 कुल किता 05 कुल रकबा 1.88 हैक्ट. स्थित ग्राम तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा पर वादीगण अर्से दराज सैंकडों वर्षों से बिना कोई विघ्न व बाधा के लगातार काबिज काश्त रहने से वादीगण भूमि मुतदाविया के खातेदार काश्तकार हो गये है तथा इस अमर की उद्घोषणा वादीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में करवाने के अधिकारी हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/1139 दिनांकः 13.04.2023 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत रलावता की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी सं. 01 माफी गंगागुरी नाम का कोई व्यक्ति ग्राम तुंगडकाबास में नहीं है। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। प्रकरण वादीगण साक्ष्य में नियत किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र किशोर पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर, राजेश पुत्र लिछमन जाति गुर्जर, रत्तीराम पुत्र बीरबल जाति गुर्जर, हजारी पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर, बच्चू सिंह पुत्र रामपाल जाति गुर्जर, धर्म सिंह पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर, रामजीलाल पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर के पेश किये गये। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई। हमने बहस वादीगण वकील पर मनन किया। वादपत्र एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त जवाब/रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम तुंगडकाबास खाता सं. नया 33 पुराना 35– प्रदर्श 1, खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 ग्राम दुब्बीगढ जिला जयपुर, खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2031 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2035 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2010 ग्राम गढदुब्बी–प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2052–71 ग्राम तूँगड का बास–प्रदर्श 3 का अवलोकन किया। वादी का कथन है कि भूमि खाता सं. नयी 33 पुरानी 35 खसरा नं. 17 लगायत 21 कुल किता 05 कुल रकबा 1.88 हैक्ट. ग्राम तुंगडबास पर वादीगण अर्से दराज सैंकडों वर्षों से बिना कोई विघ्न व बाधा के लगातार काबिज काश्त रहने से वादीगण भूमि मुतदाविया के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। वादग्रस्त भूमि की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। उक्त कथन के समर्थन में वादीगण द्वारा पेश राजस्व जमाबन्दी संवत

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

2076–79 ग्राम तुंगडकाबास खाता सं. नया 33 पुराना 35– प्रदर्श 1 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि माफी गंगा गुरी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 ग्राम दुब्बीगढ जिला जयपुर, खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2031 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2035 ग्राम गढदुब्बी, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2010 ग्राम गढदुब्बी–प्रदर्श 2 के खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 ग्राम गढदुब्बी में खुद काश्त गंगागुरी के साथ वादीगण के बुजुर्गान का नाम उपकृषक विवरण में दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2032–35 में माफी गंगागुरू के साथ वादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज है। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जवाब/रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023 के अनुसार वादग्रस्त भूमि माफी गंगागुरी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज होना बताया है। साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है तथा खातेदार माफी गंगागुरू नाम का कोई व्यक्ति ग्राम तुंगडबास में नही होना बताया है। तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रलावता के अनुसार भी गंगागुरी नाम का कोई व्यक्ति ग्राम तुंगडबास एवं पंचायत क्षेत्र में नहीं है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय से ही वादीगण के कब्जे काश्त में रही है। अतः खसरा गिरदावरी संवत 2017–2020 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2032–35 तथा तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत रलावता प्रमाण पत्र के अवलोकन के आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के वादीगण अपने कथन को साबित करने में सफल रहे है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाकर ग्राम तुंगडकाबास खाता संख्या नई 33 पुरानी 35 खसरा नम्बर 17 लगायत 21 कुल किता 05 कुल रकबा 1.88 हैक्ट. में प्रतिवादी सं. 01 माफी गंगा गुरी का नाम हजफ किया जाकर वादी सं. 1 लगायत 8 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पर्चा डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(बांदीकुई (दौसा))
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with CamScanner